



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 20.02.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ ऑपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप अलग-अलग 03 मामलों में कुल 05 अभियुक्तों को 16000/ रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित ।

विवरण- पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विकशन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में अलग-अलग 03 मामलों में कुल 05 अभियुक्तों को 16000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

अभियोग-

1. थाना तिंदवारी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-124/2021 धारा 279/337/427 भादवि के अभियुक्त महेश प्रताप पुत्र बाबूलाल निवासी कोर्ना कनक थाना ललौली जनपद फतेहपुर को कुल 3000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया
2. थाना बिसण्डा पर पंजीकृत एनसाआर मु0अ0सं0-15/2016 धारा 323/504 भादवि के अभियुक्ता परवतिया पत्नी बाबू लोध निवासी अकौना थाना बिसण्डा जनपद बांदा को 1000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
3. थाना चिल्ला पर पंजीकृत मु0अ0सं0-सी2/2005 धारा 427/504/506 भादवि के अभियुक्तगण 1. बच्चा 2. बड़कू 3. छोटकू पुत्रगण शिवदयाल निवासीगण बरेठी असकरन थाना तिन्दवारी जनपद बांदा को कुल 12 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।